

आमालय उपरपुस/विभागी वर्याग

अुठनठ प्रविभापय
05/2020 अमील

File No. निमिदि डिभाड
11/01/20 एवो
913121,

25/11/20
22/3/21
30/12/2020
पु
512/21
25/2/21
31/3/21
09/03/21
(आदेश)

#2020/00242

रवैन सिधे वरु सरपच शम पचांघर फाआ

Name	
Address	
Subject	
From	To

गया लाल शर्मा

Record File

No. 3500



फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत..... उप (पु) एस. डी. अधिकारी मुकाम..... लपाना
 किस्त मुकदमा..... सोनारिह नाम..... रु (पंच) ग्राम पंचायत 4030 नं. सन् 5/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीज में जारी हुए
11/01/20	उपरोक्त हुकम को अंतिम रूप में देखा जाये। डिमांड 25/11/20 को पेश हो।	
25/11/20	नं 0 पाठ तुजान माल नं 0 माल पीठासीन अधिकारी ह पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/11/20 को पेश हो 30/12/20	
30/12/20	पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/12/20 को पेश हो	
5/2/21	पु. अ. 0 उपा. डी. ए. 0 की कार्यवाही में अ. डी. ए. 0 उपा. डी. ए. 0 के पत्रावली पूर्वानुसार पत्र डिमांड व जवाब अनापना गेनी करण अहकाम परामु 15/2/21 को पेश हो।	

नम्बर व
अहकाम जो
हुकम की तारीख में
जारी हुए

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख में
जारी हुए

जातिवार शरण कर्तव्य में सही व सुदृ नाम सोनं सिंह
दत्त कसपत प्रसन्न हैं। इस गलती से कमीलाच
की हठ तलफती हैं। अपील शरण के बाद स्याद अर्द्धि 5.
इस पेशीकृत में कमील अपीलार्थ स्वीकार कर नामांकण
3681 शरण पेशीकृत - परीक्षा निरस्त करने का निर्णय
लिया है।

शापिना पपु कमील पेशीकृत होने पर दर्त एरिस्टर
फर कमील दर्त कर रेस्पोजेन्ट को जारी नैरिष्ट
तलफ मिया। रेस्पोजेन्ट की और से प्री सु-डेन रमा
रखवोकेर ने वकातनामा व अनापत्ती पेशकर
अपील अपीलार्थ स्वीकार कर अपीलार्थ का
सुदृ व सही नाम सोनं सिंह जं डि (गाम) में
अपनी सहमती दी है।

हमने उरुप पदा के विधान अभिमापकगणों
को सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व डिक्टि नारुप
3681 निर्णय डिक्टि 30/09/1982, का अवलोकन किया।
अपीलार्थ द्वारा प्रस्तुत आतजिकीसुग अर्धोज हारा
मारी फीरो पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड
(सं 4372 37 21 7232) की दया प्रतियों का अवलोकन
किया। प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों में अपीलार्थ का
नाम सोनं सिंह अर्द्धि है। नामांकण 3681 में
अर्द्धि-सजण में निर्णोनी के जाटिण में सोहन सिंह
अर्द्धि है। रेस्पोजेन्ट ने अपने अनापत्ती में यह
अर्द्धि किया है कि अपीलार्थ का सही नाम सोनं सिंह
है सोहन सिंह नहीं। रेस्पोजेन्ट को अपीलार्थ के
नाम सोहन सिंह के स्थान पर सोनं सिंह लिख
जाने में अपनी सहमती दी है। प्रस्तुत दस्तावेजों
वहत विधान उरुप पदा के विधान अभिमापक
गणों को सुने के बाद कमील अपीलार्थ
स्वीकार योग्य है।



[Signature]
उपसहस्र अधिकारी
बयाना ()

तारीख
हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

आदेश -

अतः कृषिज अपीलाट स्वीकार की जाती है।
साक्षात्करण एं 360 निर्देश डिमांड 2010/198/2
ग्राम- रामपुर, ग्राम पंचायत पण्डिता, पंचायत सक्षि
वपाना निरस्त किया जाता है। तहसीलदार
वपाना को प्रमाण दस्तखिस्त के साथ रिमांड
किया जाता है कि वह मृतक चिन्मयी के
कायरी वारिसान की- निरस्त जाचें कर गुणावगुण
के साथ 48 निर्देश पारित करें। पालना
निर्देश की प्रति तहसीलदार वपाना को भेजी
जाये।



पक्षवकी फौजल सीकर नम्बर 4 अम ही।
वाद-तहसील पालना 5000- ही। निर्देश आर्ज
डिमांड 09/03/2021 को मेरे हुए जिला
जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)